



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 136-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 14, 2018 (SRAVANA 23, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 14th August, 2018

No. 24 HLA of 2018/48/18139.— The Haryana Vishwakarma Skill University, (Amendment) Bill, 2018 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 24 HLA of 2018

THE HARYANA VISHWAKARMA SKILL UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2018

A

BILL

further to amend the Haryana Vishwakarma Skill University Act, 2016.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Vishwakarma Skill University (Amendment) Act, 2018. Short title.
2. In the long title of the Haryana Vishwakarma Skill University Act, 2016 (hereinafter called the principal Act), for the words “THE HARYANA VISHWAKARMA SKILL UNIVERSITY”, the words and sign “SHRI VISHWAKARMA SKILL UNIVERSITY, HARYANA” shall be substituted. Amendment of long title of Haryana Act 25 of 2016.
3. In the short title of the principal Act, for the words “The Haryana Vishwakarma Skill University”, the words and sign “Shri Vishwakarma Skill University, Haryana” shall be substituted. Amendment of short title of Haryana Act 25 of 2016.
4. In clause (v) of section 2 of the principal Act, for the words “The Haryana Vishwakarma Skill University”, the words and sign “Shri Vishwakarma Skill University, Haryana” shall be substituted. Amendment of section 2 of Haryana Act 25 of 2016.
5. In sub-section (1) of section 3 of the principal Act, for the words “The Haryana Vishwakarma Skill University”, the words and sign “Shri Vishwakarma Skill University, Haryana” shall be substituted. Amendment of section 3 of Haryana Act 25 of 2016.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

India has a huge target of skilling 400 million youth by 2020 with speed, scale and standards whereas at present India has only 2% skilled population. The country presently faces a dual challenge of severe paucity of well-trained, quality labour, as well as non-employability of large sections of the educated workforce that possess little or no job skills. To promote skill development in the country, National Skill Qualification Framework has been notified by Government of India.

In order to effectively roll out National Skill Qualification Framework, to implement it in true letter & spirit, to place an institutional mechanism and create an institution of higher skill learning, need to set up a Skill University was felt by Government of Haryana. Accordingly, the Haryana Vishwakarma Skill University was established and incorporated by Act No. 25 of 2016 to facilitate and promote skill, entrepreneurship development, skill based education and research in the emerging areas of manufacturing, textile, design, logistics and transportation, automation, maintenance, etc. and to raise skill level in various fields related to these areas and for matter connected therewith or incidental thereto. The University is on the way ahead to offer skill courses from certificate level to Doctorate level.

The University has started its work from 21st January, 2017 by making its transit office at Gurugram. The University will be set up at its permanent site in Village Dudhola, District Palwal over 82.72 acres of land. The University planning is proliferated into 3 phases. The phase-I shall be built in 21932 sq. mt., phase-II in 11642 sq. mt. and phase-III in 10092 sq. mt. HVSU and IRCON Infrastructure and Services Ltd., a Govt. of India undertaking, has signed an agreement on dated 22.01.2018 to build the University's campus at Dudhola village. The agreement has been entered for the phase-I building plans only. In Phase-1 of the campus development of the University, buildings for Academic blocks, Administrative blocks, Residential for staff, Centre of Excellence, Hostels, Library, Stadium and other facilities including Construction Skill Academy shall be constructed. The Phase-1 work is likely to complete by January, 2020.

The classes for the in-Campus Model in Dudhola are planned to be started from the academic session 2020-21. Working from its transit office, the University has already established an Out Campus model through its dual education system with industry under Earn & Learn programme. The total number of courses/programs already started is eleven. Besides this, University has also offered/announced 6 certification programs.

Since, Lord Vishwakarma is worshiped by our society, so, it is proposed that the name of the University be changed from "Haryana Vishwakarma Skill University" to "Shri Vishwakarma Skill University, Haryana". For this, the existing Act of the University needs to be amended.

VIPUL GOEL,
Skill Development & Industrial Training Minister.

Chandigarh:
The 14th August, 2018.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2018 का विधेयक संख्या 24 एच०एल०ए०

हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018
 हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016,
 को आगे संशोधित करने के लिए
 विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), के दीर्घ शीर्ष में, "हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर, "श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरियाणा" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2016 का हरियाणा अधिनियम 25 के दीर्घ शीर्ष का संशोधन।
3. मूल अधिनियम के लघु शीर्ष में, "हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर, "श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरियाणा" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2016 का हरियाणा अधिनियम 25 के लघु शीर्ष का संशोधन।
4. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (फ) में, "हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर, "श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरियाणा" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2016 का हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 2 का संशोधन।
5. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में, "हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर, "श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरियाणा" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2016 का हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 3 का संशोधन।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

भारत का वर्ष 2020 तक तेजी से, पैमाने और मानकों के साथ 400 मिलियन युवाओं को कुशल बनाने का बड़ा लक्ष्य है, जबकि वर्तमान में भारत में केवल 2 प्रतिशत कुशल आबादी है। वर्तमान में देश अच्छा कौशल एवं गुणवान श्रमिकों की कमियों की दोहरी चुनौती का सामना करने के साथ-साथ शिक्षित मानव शक्ति का बड़ा हिस्सा, जो नाममात्र अथवा शून्य कौशल रखता है, की बेरोजगारी की समस्या का सामना भी कर रहा है। भारत सरकार द्वारा देश में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे को अधिसूचित किया गया है।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए, इसे वास्तव में स्थापित करने तथा उच्च कौशल सिखाने की संस्था स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक कौशल विश्वविद्यालय बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार वर्ष 2016 के अधिनियम संख्या 25 द्वारा हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य कौशल, उद्यमशीलता विकास, कौशल आधारित शिक्षा एवं निर्माण, वस्त्र, डिजाईन, रसद और परिवहन आदि के क्षेत्रों की सुविधा देने एवं बढ़ावा देने का उद्देश्य है और इन क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में कौशल स्तर को बढ़ावा देना है। विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र स्तर से डॉक्टरेट स्तर तक के कौशल पाठ्यक्रमों को उपलब्ध करवाने की ओर अग्रसर है।

इस विश्वविद्यालय ने दिनांक 21 जनवरी 2017 से गुरुग्राम में अस्थाई परिसर स्थापित करते हुए कार्य करना आरंभ कर दिया है। यह विश्वविद्यालय जिला पलवल के ग्राम दुधोला में 82.72 एकड़ भूमि में स्थाई रूप से स्थापित किया जाएगा। विश्वविद्यालय का विस्तार योजनाबद्ध तीन चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण में 21932 वर्गमीटर, द्वितीय चरण में 11642 वर्गमीटर तथा तृतीय चरण में 10092 वर्ग मीटर का निर्माण किया जाएगा। हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय तथा इस्कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, के मध्य दिनांक 22.01.2018 को एक अनुबंध गांव दुधोला में विश्वविद्यालय का परिसर निर्मित करने के लिए किया गया है। यह अनुबंध प्रथम चरण के भवन योजना के लिए ही किया गया है। विश्वविद्यालय के परिसर विकास के प्रथम चरण में शैक्षणिक खण्ड, प्रशासनिक खण्ड, स्टाफ निवास, उत्कृष्टता केन्द्र, छात्रावास, पुस्तकालय, स्टेडियम तथा निर्माण कौशल अकादमी व अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। प्रथम चरण का कार्य जनवरी, 2020 में पूर्ण होने की संभावना है।

गांव दुधोला में विश्वविद्यालय परिसर में कक्षाओं को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से आरंभ किया जाना नियोजित है। अपने अस्थाई परिसर से कार्य करते हुए, विश्वविद्यालय द्वारा पहले से ही बाह्य परिसर मॉडल में उद्योग के साथ दोहरी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पढ़ाई के साथ कमाई कार्यक्रम आरंभ किया है। वर्तमान में शुरू किए गए पाठ्यक्रम/ कार्यक्रमों की कुल संख्या 11 है। इनके अलावा, विश्वविद्यालय ने छः प्रमाण-पत्र कार्यक्रमों की पेशकश/घोषणा भी की है।

चूँकि, भगवान विश्वकर्मा जी को हमारे समाज द्वारा पूजा जाता है, अतः भगवान विश्वकर्मा जी को आदर देने हेतु यह प्रस्ताव है कि हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरियाणा किया जाये। जिसके लिए विश्वविद्यालय के मौजूदा अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है।

विपुल गोयल,
कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 14 अगस्त, 2018.

आर. के. नांदल,
सचिव।